संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 14-10-2021**

आज दिनांक 14.10.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 16 अदद बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 16 अदद बंटी बबली ब्राण्ड अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता मिथलेश कुमार यादव पुत्र लालचन्द्र यादव निवासी चोलखरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 16 अदद बंटी बबली ब्राण्ड अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 297 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी मुखलिसपुर उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा मय हमराह कां0 संजय प्रसाद।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा दो पक्षों में विवाद के दौरान घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत जिगिना से इवेन्ट संख्या 01317 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से पांच व्यक्तियों (खुशबू, प्रमिला, सुन्दरी, कौशिक पुत्र श्रीकान्त, विमल पुत्र सनेही निवासी जिगिना थाना धनघटा) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 02 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्तकराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति / महिलाओं को एम्बुलेंस 108 से प्रा0स्व0 केन्द्र मलौली पहुँचाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – उ0नि0 राधिका प्रसाद, मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 बृजेश यादव, हो0चा0 रामहित ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 61 वाहनो से 53500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.10.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 61 वाहनो से 63500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।